भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 999
उत्तर देने की तारीख 02.12.2024

छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना

999. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त योजनाओं का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कलाकारों के समर्थन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं वित्तीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम एवं योजनाओं से अब तक कितने कलाकार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार रायपुर जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्यों जैसे राउत नाचा, पडकी, देवर नाचा और पंडवानी के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ राज्य के परम्परागत मेलों एवं उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ड.) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत किन-किन मेलों को शामिल किया गया है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें संचालित करता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर के सभी राज्यों में कला, संस्कृति और अमूर्त विरासत के संवर्धन और परिरक्षण के लिए पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों (लोक

कलाकारों सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने नागपुर (महाराष्ट्र) में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एससीजेडसीसी) की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ इस जेडसीसी के कार्यक्षेत्र के अधीन है। युवा पीढ़ी पर इन स्कीमों का गहरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि वे छत्तीसगढ़ सहित, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति और अधिक सजग हो गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एससीजेडसीसी, नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और लाभान्वित कलाकारों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

(ग): भारत सरकार पहले से ही रायपुर जिले सहित देश के सभी प्रसिद्ध लोक नृत्यों के कलाकारों को सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से प्रोत्साहित करती है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले अपने कार्यक्रमों में लोक कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, जिसमें ये कलाकार अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, मानदेय, भोजन एवं आवासन, स्थानीय परिवहन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे उनका आर्थिक कल्याण होता है।

(घ) और (ङ): भारत सरकार एससीजेडसीसी, नागपुर को छत्तीसगढ़ सहित इनके सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों, कार्यक्रमों, मेलों और महोत्सवों के आयोजन के लिए वार्षिक सहायता अनुदान जारी करती है।

*****

अनुलग्नक-I

'छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 999 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह है और शिष्य के लिए यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह (कलाकार की आयु पर निर्भर) है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi **संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

vii. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रूम आदि के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन (03) घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष (कनिष्ठ) के आयु वर्ग और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपए

प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में चिन्हित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार (04) बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु तथा 72,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाएगी।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को नि:शुल्क भोजन वितरित करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले नि:शुल्क 'प्रसाद' या नि:शुल्क भोजन या नि:शुल्क 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

'छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 999 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त संगठनों/व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		सहायता प्राप्त व्यक्तियों/संगठनों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि **(लाख रुपये में)**	सहायता प्राप्त व्यक्तियों/ संगठनों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि **(लाख रुपये में)**	सहायता प्राप्त व्यक्तियों/ संगठनों की संख्या	वित्तीय सहायता की राशि **(लाख रुपये में)**
1.	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	-	-	-	-	09	33.52
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	04	8.25	01	0.50	03	21.69
3.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	-	-	03	3.60	-	-
4.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्कीम	03	0.90	03	0.90	09	2.70
5.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान स्कीम	0	0	01	7.5	-	-

*****

अनुलग्नक-III

'छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 999 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में एससीजेडसीसी, नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम और लाभान्वित कलाकारों की संख्या

2021-22

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	लाभान्वित कलाकारों की संख्या
1.	रायपुर में देशभक्ति थीम पर लोक एवं जनजातीय नृत्य	14 अगस्त, 2021	20
2.	रायपुर में आजादी के नगमे, देखो अपना देश	15 अगस्त, 2021	15
3.	रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव	28 से 30 अक्तूबर, 2021	177
4.	रायपुर में आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव	26 से 28 दिसम्बर, 2021	105
5.	भिलाई में के.बी.आर. बिमलार्पण संगीत महोत्सव	7 से 9 जनवरी, 2022	09
6.	बिलासपुर और बलरामपुर में राष्ट्रीय स्तर की रंगोली प्रतियोगिता	2 और 9 जनवरी, 2022	135
7.	रायपुर में ऑक्टेव- पूर्वोत्तर महोत्सव	5 से 8 मार्च, 2022	214

2022-23

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	लाभान्वित कलाकारों की संख्या
1.	जगदलपुर में बिरसा मुंडा जयंती (ड्रामा और नुक्कड़ नाटक)	10 और 11 जून, 2022	42
2.	बिलासपुर में नृत्य भक्ति गीत संगीत महोत्सव	19 अगस्त, 2022	15
3.	राजनंदगांव में 10 दिवसीय कला शिविर "संस्कार-2022"	10 से 20 सितम्बर, 2022	40

4.	जगदलपुर में दशहरा महोत्सव	28 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2022	90
5.	रायपुर में 22वां राज्योत्सव और तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव	1 से 3 नवम्बर, 2022	149
6.	बिलासपुर में शास्त्रीय संगीत सभा	5 नवम्बर, 2022	33
7.	भिलाई में आचार्य पंडित बिमलेन्दु मुखर्जी को समर्पित केबीआर बिमलार्पण संगीत महोत्सव	12 से 14 जनवरी, 2023	17
8.	भिलाई में लोक नृत्य भारत भारती	24 से 26 जनवरी, 2023	90
9.	दुर्ग में गनयारी लोक कला महोत्सव	11 से 12 फरवरी, 2023	135

2023-24

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	लाभान्वित कलाकारों की संख्या
1.	राजनंदगांव में गुरु शिष्य परंपरा (लोक नाट्य नाच)	1 से 30 अप्रैल, 2023 12 माह के लिए जीएसपी प्रशिक्षण (1 दिसंबर, 2022 से 1 नवंबर, 2023)	06
2.	खैरागढ़ में पंथी नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला	15 से 29 जुलाई, 2023	50
3.	मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान- छत्तीसगढ़ के 57 ब्लॉकों/तहसीलों में स्किट, नुक्कड़ नाटक "सांस्कृतिक कार्यक्रम"	10 से 15 अगस्त, 2023	454
4.	रायपुर में रंग मध्य दक्षिणी	23 और 24 सितम्बर, 2023	33
5.	मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान- छत्तीसगढ़ के 62 ब्लॉकों/तहसीलों में स्किट, नुक्कड़ नाटक "सांस्कृतिक कार्यक्रम"	3 से 9 अक्तूबर, 2023	600

*****